TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 6th JUNE, 1996

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
*****

New Delhi the 6th June, 1996

NOTIFICATION

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee, hereby approves the company specified in column (2) of the Table below and specifies the eligible project or scheme and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the Table below and also specifies in the column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC.

TABLE

Serial Number	Name of the Company	Project or Scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jindal Aluminium Limited, Jindal Nagar, Tumkur Road, Bangalore-560073.	Construction of school buildings in 16 villages at Hesaraghatta, Nelamangala and Dodaballapur Talukas; likely to cost Rs.80.60 lakhs.	Rs.80.60 lakhs.

2. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to assessment year 1997-98, 1998-99 and 1999-2000.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10104
F.No. NC-73/96

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड-3, उपखण्ड(ii) में दिनांक 6 जून, 1996 को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 6 जून, 1996

अधिसूचना

का0आ0 (अ0)- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कंपनी को अनुमोदित करती है और नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित पात्र परियोजना या स्कीम तथा उसकी प्राक्कलित लागत विनिर्दिष्ट करती है और उक्त सारणी के स्तम्भ(4) में ऐसी लागत की वह अधिकतम रकम जो उक्त धारा 35 कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट करती है ।

सारणी

क्रम सं0	कंपनी का नाम	परियोजना या स्कीम और उसकी प्राक्कलित लागत	धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिंदल अल्युमिनियम लि0 जिंदल नगर, टुमकुर रोड, बंगलोर-560073	डोडाबल्लापुर, नेलामंगला, हेसराग्बट्टा के 16 गांवों में विद्यालय भवनों का सन्निर्माण, अनुमानित लागत 80.00 रू0	80.00 लाख रू0

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

(वी0 के0 सहगल)
उप सचिव, भारत सरकार

सं0 10104
फा0 सं0-एन सी-73/96